रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02072024-255078
CG-MH-E-02072024-255078

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2392]	नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 1, 2024/ आषाढ 10, 1946
No. 2392]	NEW DELHI, MONDAY, JULY 1, 2024/ ASHADHA 10, 1946

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

मुंबई, 1 जुलाई, 2024

(ई-गजट अधिसूचना संख्या 4994 दिनांक 08.12.2023 के संबंध में, नीचे उल्लिखित अनुच्छेद को पिछली अधिसूचना में सही विवरण के रूप में माना जायेगा

का.आ. 2521(अ).— केंद्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेल्वे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20' ए ' के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिये, वह भुमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के **पुणे जिला** में **गती शक्ती युनिट** के अंतर्गत **लोनी यार्ड** की विशेष रेल पारियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है ।

उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयॊजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध मे आक्षेप कर सकेगा ।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात **मा. उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र.3 जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे, जिला पुणे, महाराष्ट्र**, महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम

प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधी व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमी के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति व्दारा समक्ष प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिला में **गती शक्ती युनिट** के अंतर्गत **लोनी यार्ड** के लिए अर्जित की जाने वाली भूमी का संरचना या उसके संक्षिप्त विवरण:

अ. क्र.	भू संपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तहसील का नाम	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	गट संख्या / सर्वे संख्या	भू धारणा प्रणाली	7/12 अनुसार कुल क्षेत्र (हे.आर.चौ.मी.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर. चौ.मी.)
1)	2023-24	कदमवाक वस्ती	हवेली	विशे काम्पोनन्ट इंडिया प्रा. लिमिटेड	125/अ	1	12.76.83	1.35.53
2)		कदमवाक वस्ती	हवेली	कॉनव्हेक्स प्रॉपटीज प्रा.लि. व इतर 2	125/ब	1	12.64.45	
					कुल		**25.41.28**	**1.35.53**

[फा. सं.: G197/2024/Loni Goods shed/1Village/Corrigendum-20A]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(CENTRAL RAILWAY)

CORRIGENDUM

Mumbai, the 1st July, 2024

(IN REGARD TO E-GAZETTE NOTIFICATION NO. 4994 DATED 08.12.2023, THE PARA MENTIONED BELOW SHOULD BE TREATED AS CORRECTED DETAILS IN PREVIOUS NOTIFICATION)

S.O. 2521(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008(11th of 2008) (hereinafter referred to as the said Act.) The Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, "**Loni Yard under Gati Shakti Unit**", in **Taluka Haveli, District Pune** in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely **Deputy Collector, Land Acquisition No.3, District Pune, Maharashtra**, in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, for the Special Railway Project namely, **Loni Yard under Gati Shakti Unit" in the District Pune** in the state of Maharashtra.

S. N.	LAC No.	Name of the Village	Taluka	As Per 7/12 Land holder's name	Survey No.	Land Holding Method	Total area as per 7/12 (H.R. sqm)	Acquisition area (H.R.sqm)
1	2023-24	Kadamwak Vasti	Haveli	Vishay Component India Pvt. Limited	125/A	1	12.76.83	1.35.53
2		Kadamwak Vasti	Haveli	Convex Properties Pvt. Ltd. and other 2	125/B	1	12.64.45	
					Total		**25.41.28**	**1.35.53**

[F.No. G197/2024/Loni Goods shed/1Village/Corrigendum-20A]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.07.02 22:17:13 +05'30'